प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 8

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर .... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022.......... प्र. इ. रि. स. ....468/22........ दिनांक ....08/12/22..........

2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 ......धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन) अधिनियम 2018 ....
 (ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
 (स) अधिनियम ....धारायें..........
 (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....153.....समय..........12:30 PM..........
 (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 07.12..2022.... समय 11.18 ए.एम. ....
 (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 06.12.2022 समय.......09.15 एएम..........

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–
 (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा दक्षिण–पश्चिम 115 किलोमीटर ....
 (ब) पता – तहसील कार्यालय जैतारण जिला पाली बीट सख्या .... जरायमदेही सं........
 (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना..........जिला..........

6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
 (अ) नाम.... श्री कमल किशोर आचार्य ....
 (ब) पिता का नाम श्री मुरलीधर आचार्य..........
 (स) जन्म तिथि /वर्ष 40 साल..........
 (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
 (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी..........
 जारी होने की जगह..........
 (र) व्यवसाय...... ....वकालात ....
 (ल) पता ... मकान नम्बर 33–34, सालासर भवन सूरज कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर ....

7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री हस्तीमल राव पुत्र श्री नारायण लाल उम्र 56 साल जाति राव निवासी रामद्वारा गेलेक्सी स्कूल के पास मोती नगर, ब्यावर जिला अजमेर मूल निवासी ग्राम पोस्ट केलवाद, तहसील सोजत जिला पाली हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी (पंजीयन लिपिक), कार्यालय तहसीलदार, तहसील जैतारण, जिला पाली।**

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही..........

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

..........6,000रू0 रिश्वत राशि..........

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..........
..........6,000/– –रू0 रिश्वत राशि ....

11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवा में, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (एस.यू.) अजमेर विषय :– रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत्। महोदय, उपरेक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं कमल किशोर आचार्य पुत्र स्व0 श्री मुरलीधर आचार्य जाति ब्राह्मण उम्र 40 वर्ष निवासी 33–34 सालासर भवन सुरज कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर का रहने वाला हूँ। पेशे से वकालात करता हूँ। मैं भूखण्ड खरीद से संबन्धित पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज पंजीकृत करवाता हूँ। मैने दिनांक 01.12.2022 को तहसील कार्यालय जैतारण जिला पाली में श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री बाबुलाल जाति कुमावत निवासी रामावास कला तहसील जैतारण जिला पाली द्वारा श्रीमती सपना पत्नी श्री राजेन्द्र का खसरा नं. 48/28 जे.आर. मेवाड़ा नगर में स्थित भूखण्ड सं. 5बी कुल क्षेत्रफल 81.94 वर्गगज मालियत राशि 12,00,000 हेतु प्रस्तुत की गई हैं। उक्त रजिस्ट्री के पंजीयन के संबंध में तहसील कार्यालय के पंजीयन लिपिक हस्तीमल राव से मिले तो उसने श्री दीपक जी को उक्त दस्तावेज पंजीयन करते हुए अवगत कराते समय

पंजीयन दस्तावेज की राशि के अनुसार 1 प्रतिशत रिश्वत राशि देने के उपरान्त मूल रजिस्ट्री देने हेतु कहा। जिस पर समस्त वार्ता दीपक जी ने मेरे को अवगत कराई। मैं उक्त दस्तावेज के पंजीयन हो जाने के उपरान्त अपने वाजिब पंजीयन दस्तावेज श्री हस्तीमल राव के द्वारा लौटाने की एवज में रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करावें। दिनांक 06..12.22 भवदीय एस.डी. कमल किशोर आचार्य पुत्र स्व0 श्री मुरलीधर आचार्य जाति ब्राह्मण उम्र 40 साल निवासी 33–34 सालासर भवन सुरज कॉलोनी ब्यावर जिला अजमेर मोबाईल नम्बर 9413692645, 9829692645

–:: कार्यवाही पुलिस/रंनिग नोट::–

कार्यवाही पुलिस एसीबी स्पेशल यूनिट अजमेर दिनांकः–06.12.2022 समय 09:15 ए.एम.

इस समय परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य पुत्र श्री मुरलीधर आचार्य जाति ब्राहम्ण उम्र 40 साल निवासी मकान नम्बर 33–34, सालासर भवन सूरज कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा एक लिखित रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम सम्बोधित करते हुए मन् उप अधीक्षक पुलिस को कानूनी कार्यवाही करने की पेश की। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी की उक्त रिपोर्ट पर पूछताछ की तो बताया कि " मैं उपरोक्त पते का मूल निवासी हुं तथा पेशे से वकालत करता हुं। मैं उप पंजीयक ब्यावर, जैतारण एवं अन्य स्थानों पर भवन भुःखण्ड खरीदने एवं बेचने से सम्बधित दस्तावेजों का पंजीयन कार्यालय में पंजीयन करवाता हुं। मैने दिनांक 01.12.2022 को तहसील कार्यालय जैतारण जिला पाली में श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री बाबूलाल जाति कुमावत निवासी रामावास कला तहसील जैतारण जिला पाली द्वारा श्रीमती सपना पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार का खसरा नम्बर 48/28 जे.आर. मेवाडा नगर, जैतारण में स्थित भुखण्ड संख्या 5बी कुल क्षेत्रफल 81.94 वर्गगज मालीयत राशि बारह लाख रूपये की रजिस्ट्री का दस्तावेज वास्ते पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया था जिसके सम्बंध में मेरे पास कार्यरत श्री दीपक कुमार ने तहसील कार्यालय जैतारण के पंजीयन लिपिक श्री हस्तीमल राव से मुलाकात की तो हस्तीमल ने दीपक को उक्त दस्तावेज पंजीयन हो जाना अवगत करवाते हुए उससे पंजीयन करने के बदले में पंजीयन दस्तावेज की राशि के अनुरूप 01 प्रतिशत की रिश्वत राशि की मांग की तथा अवगत करवाया कि उक्त राशि देने के उपरान्त अपनी रजिस्ट्री ले जाना। रिश्वत के सम्बधं में उक्त वार्ता मेरे अधीनस्थ कार्यरत श्री दीपक कुमार ने मुझे आकर बताई। मैं अपने वाजिब काम के बदले में पंजीयनशुदा दस्तावेज को देने की एवज में श्री हस्तीमल राव को रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं तथा श्री हस्तीमल राव को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। कानूनी कार्यवाही करावें।" प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी से आवश्यक दरियाफ्त की गई तो उसने प्रार्थना पत्र में लिखे तथ्यों की ताईद की। दरियाफ्त में परिवादी ने बताया कि उक्त कार्यवाही में मेरे साथ दीपक कुमार भी मौजूद है जो दौराने कार्यवाही मेरे साथ ही रहेगें। जिस पर उपस्थित दीपक कुमार से भी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों बाबत पूछताछ की गई तो उसने लिखे गये तथ्यो की ताईद करते हुए सही होना बताया तथा कार्यवाही में श्री हस्तीमल राव द्वारा पंजीयन दस्तावेज को देने की एवज में 01 प्रतिशत राशि की मांग किया जाना स्वीकार किया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बाबत् पूछताछ में परिवादी एवं दीपक कुमार ने श्री हस्तीमल से किसी प्रकार की कोई उधार की राशि का लेनदेन नही होना अवगत कराया तथा किसी प्रकार की रंजिश अथवा द्वेष भावना से भी ईंकार किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा लिखित व हस्ताक्षरित होना अवगत कराते हुए उक्त पंजीयन दस्तावेज की पूर्व में प्रस्तुतशुदा फोटोप्रति पेश की। दस्तावेज का अवलोकन करने पर उक्त दस्तावेज श्री कमल किशोर आचार्य द्वारा दिनांक 01.12.2022 को प्रस्तुत करना

ज्ञात हुआ। परिवादी की रिपोर्ट एवं दरियाफ्त पर की गई पूछताछ से मामला परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य से श्रीमती सपना पत्नी श्री राजेन्द्र के दस्तावेज को पंजीयन कर पंजीयनशुदा दस्तावेज देने की एवज में मालीयत राशि 12 लाख रूपये की 01 प्रतिशत रिश्वत राशि की मांग करने से संबंधित पाया जाने पर परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के मन्तव्य से अवगत करवाया गया, जिस पर परिवादी ने कहा कि मैं आज दिनांक 06.12.22 को ही रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा सकता हूँ। इस पर कार्यालय हाजा की आलमारी में से कार्यालय हाजा का सरकारी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड ईश्यु करवाकर परिवादी व सहपरिवादी को वायस रिकॉर्डर के संचालन के सम्बन्ध में बताया जाकर वायस रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया के बारे में समझाईश की गई तथा श्री अर्जुनलाल कानि. 244 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी एवं सहपरिवादी से आपस में एक दूसरे का परिचय करवाया जाकर की जाने वाली कार्यवाही के बारें में अवगत कराया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य व सहपरिवादी श्री दीपक कुमार को श्री अर्जुनलाल कानिस्टेबल 244 के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करने के लिये परिवादी एवं सहपरिवादी के निजी वाहन से जैतारण जिला पाली के लिये रवाना किया। श्री अर्जुनलाल कानि. 244 मय परिवादी एवं सहपरिवादी के रिश्वत राशि मांग सत्यापन कर उपस्थित आये तथा कानि0 ने अवगत कराया कि तहसील कार्यालय जैतारण के पास पहुंचकर मेरे द्वारा परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सहपरिवादी के साथ आरोपी से वार्ता करने हेतु तहसील कार्यालय रवाना किया, जो समय करीब 01:30 पीएम पर आरोपी से वार्ता कर आये तथा मुझे वॉयस रिकार्ड सुपुर्द किया, जिसे मैने बंद किया तथा हम जैतारण से रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आये। उपस्थित परिवादी एवं सहपरिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरी आरोपी श्री हस्तीमल राव, पंजीयन लिपिक से रूबरू वार्ता हुई। आरोपी श्री हस्तीमल ने रजिस्ट्री देने की एवज में मेरे से 12000 रूपये की मांग करते हुए 6000 रूपये लेना तय हुआ है तथा वार्ता होने के उपरान्त मूल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड आपके कार्यालय के श्री अुर्जनलाल को सूपुर्द कर दिया। मांग सत्यापन की कार्यवाही के उपरान्त जैतारण से अजमेर के लिये रवाना होने के दौरान समय करीब 02:17 पीएम पर हस्तीमल के दलाल श्री उमेश कुमार का सहपरिवादी श्री दीपक कुमार के मोबाईल नम्बर 9636364041 पर फोन आया जिसने वार्ता कर दीपक कुमार से कहा कि आपके दस्तावेज पंजीयन कर हस्तीमल को लौटा दिये है तथा उसने उक्त दस्तावेज के पंजीयन करने एव देने की एवज में 01 प्रतिशत के रूप में 12,000/– रूपये की मांग की है, जो आप देकर दस्तावेज हस्तीमल से ले जावें। वार्ता के दौरान दीपक कुमार ने बताया कि मेरी हस्तीमल जी से वार्ता हो चुकी है तथा उसने दस्तावेज देने के बदले में 12,000/– रूपये की मांग कर 6,000/– रूपये लेना तय किया है। उक्त वार्ता आपके कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में मोबाईल का स्पीकर ऑन कर श्री अर्जुनलाल द्वारा दर्ज की जा चुकी है। हमारे एवं आरोपी के मध्य हुई दर्ज वार्ता कार्यालय के सरकारी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज कर ली गई है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू कर सुना तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ताईद हुई। वार्ता के अनुसार आरोपी श्री हस्तीमल राव द्वारा रिश्वत राशि दिनांक 07.12.22 को लेना तय है। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु तलबशुदा गवाहान श्री भागीरथ माहेश्वरी, सूचना सहायक व श्री ओम भाकर, कनिष्ठ सहायक श्री नरेन्द्र कुमार उनि के हमराह उपस्थित कार्यालय आये। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी एवं सहपरिवादी तथा गवाहान का आपस में एक दूसरे से परिचय कराया गया। स्वतन्त्र गवाहान को प्रार्थना पत्र पढाया गया तथा उसमें अंकित तथ्यों के बारे में अवगत कराया गया एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता सुनाई गई तथा स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात् श्री अर्जुनलाल कानिस्टेबल नं0 244 से वाईस रिकार्डर मय मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से ऑपरेट कर परिवादी व स्वतन्त्र

गवाहान की उपस्थिति में दिनांक 06.12.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट शब्द–ब–शब्द तैयार की जाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से 3 सीडियॉ तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में रखकर सिल्ड कर न्यायालय हेतु तथा एक–एक सीडी को पृथक–पृथक कपड़े की थैली में सिल्ड कर आरोपी हेतु तैयार की गई एवं अन्य शेष सीडी को कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई। कपड़े की थैलियों को सिल्डचिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित आलमारी में रखा गया तथा कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई सीडी को शामिल पत्रावली किया गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी श्री कमल किशोर को आरोपी श्री हस्तीमल राव, पंजीयन लिपिक तहसील कार्यालय, जैतारण जिला पाली को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा तो उसने कल दिनांक 074.12.22 को प्रातः रिश्वत राशि लेकर उपस्थित आने हेतु बताया। इस पर परिवादी व सहपरिवादी को रिश्वत राशि पेश करने के निर्देश दिये जाकर अग्रीम ट्रेप कार्यवाही की प्रकिया समझाईश कर रवाना किया गया। दिनांक 07.12.22 को समय 07.00 एएम पर परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य व सहपरिवादी श्री दीपक कुमार, स्वतंत्र गवाह श्री भागीरथ माहेश्वरी व श्री ओम भाकर उपस्थित कार्यालय हैं। श्री कमल किशोर आचार्य द्वारा गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के 12 नोट कुल 6,000रूपये प्रस्तुत करने पर नोटो के नम्बर फर्द में अंकित कर कार्यालय के श्री सन्देश कुमार, कनिष्ट लिपिक से कार्यालय में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाये गए। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द प्रदर्शन फिनोफ्थलीन पावडर एवं दृष्टान्त सोडियम कार्बोनेट अलग से तैयार की जाकर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। मन उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, उप निरीक्षक पुलिस, श्री कन्हैयालाल सहायक उप निरीक्षक, श्री गोविन्द वर्मा हैड कानि. 59, श्री युवराज सिंह हैड कानि. 120, श्री लखन टेपण कानि. 420, श्री दामोदर कानि0 नं0 435, श्री अर्जुनलाल कानि0 नं0 244, श्री कपिल कानि0 नं0 377, कानि0 चालक नं0 376 श्री मनीष कुमार व स्वतन्त्र गवाह श्री भागीरथ माहेश्वरी व ओम भाकर के प्राईवेट वाहनों से तथा परिवादी श्री कमल किशोर आर्चाय एवं सहपरिवादी श्री दीपक कुमार को उसके स्वयं के निजी वाहन से मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप व प्रिन्टर के जैतारण जिला पाली पहुंचकर परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य व सहपरिवादी श्री दीपक कुमार को आरोपी श्री हस्तीमल राव की उपस्थिति के बारे में जानकारी हासिल की जाने हेतु श्री हस्तीमल राव के मोबाईल नं0 9414608987 पर सहपरिवादी श्री दीपक कुमार से वार्ता करवायी गयी तो वार्ता के दौरान आरोपी हस्तीमल राव ने तहसील कार्यालय जैतारण में होना अवगत कराते हुए बताया कि आप तहसील कार्यालय में ही आ जावें। आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता को कार्यालय के वॉयस रिकार्डर में सहपरिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर रिकार्ड की गई। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड चालु कर मय सहपरिवादी को रिश्वत राशि देने हेतु तहसील कार्यालय जैतारण की ओर रवाना किया तथा उनके पीछे पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान गवाहान मय स्टाफ भी अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के ईन्तजार में तहसील कार्यालय के आस–पास ही मुकीम हुए। **समय 11.18 एएम** पर परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य एवं सहपरिवादी श्री दीपक कुमार ने तहसील कार्यालय की पंजीयन शाखा के बाहर बने बरामदे में खडे होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को देखते हुए रिश्वत राशि लेन–देन का निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर कर किया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी स्टॉफ एवं स्वतन्त्र गवाह को साथ लेकर पंजीयन शाखा के बरामदे में परिवादी एवं

सहपरिवादी के पास पहुॅचे। परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्रस्तुत किया, जिसे बंद कर सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् उपस्थित परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य ने अवगत कराया कि आरोपी श्री हस्तीमल राव पंजीयन शाखा लिपिक ने मेरे से 6000 रूपये की रिश्वत राशि लेकर अपनी टेबल की दराज में रखे तथा मुझे मेरी पंजीयनशुदा रजिस्ट्री सुपुर्द कर दी हैं, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान गवाहान एवं एसीबी स्टॉफ, परिवादी एवं सहपरिवादी को लेकर उक्त कक्ष में प्रवेश किया, जहां सामने टेबल पर एक हट्टा कट्टा व्यक्ति जिसके नाक के पास मोटा मस का निशान है, की तरफ ईशारा कर परिवादी एवं सहपरिवादी ने बताया कि यही श्री हस्तीमल जी पंजीयन लिपिक हैं। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो अपना नाम हस्तीमल राव पुत्र श्री नारायण लाल उम्र 56 साल जाति राव निवासी रामद्वारा गेलैक्सी स्कूल के पास मोती नगर, ब्यावर जिला अजमेर मूल निवासी ग्राम पोस्ट केलवाद, तहसील सोजत जिला पाली हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी (पंजीयन लिपिक), कार्यालय तहसीलदार, तहसील जैतारण, जिला पाली होना बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के मन्तव्य से अवगत कराते हुए परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य से श्रीमती लीला देवी द्वारा श्रीमती सपना से क्रय किये गये भूखण्ड के पंजीयन के दस्तावेज लौटाने की एवज में परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य से रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो श्री हस्तीमल ने बताया कि "मैने इनसे कोई रिश्वत राशि नही ली हैं तथा ये झूंठ बोल रहे हैं।" इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य ने स्वत् ही आरोपी के उक्त कथन का खण्डन करते हुए बताया कि "मैने दिनांक 01.12.22 को तहसील कार्यालय जैतारण में श्रीमती लीला देवी के पंजीयन का दस्तावेज, पंजीयन शाखा में पेश किया था, जो दिनांक 01.12.22 को ही पंजीकृत हो चुका हैं। उक्त दस्तावेज मेरे साथी श्री दीपक कुमार को लेने हेतु भेजा तो हस्तीमल जी ने उक्त दस्तावेज देने से इन्कार किया तथा पंजीयन दस्तावेज की मालियत राशि 12 लाख रूपये का एक प्रतिशत के हिसाब से 12 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की, जिस पर मैने दिनांक 06.12.22 को हस्तीमल जी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता की तो श्री हस्तीमल ने 12 हजार रूपये रिश्वत की मांग करते हुए 6 हजार रूपये लेना तय किया, जिसके अनुरूप ही आज अभी मेरे से इन्होने 6 हजार रूपये अपने हाथो से लेकर अपनी टेबल की दराज में रखे हैं।" इस पर श्री हस्तीमल राव से पुनः पूछने पर बताया कि "श्रीमती सपना से श्रीमती लीला ने मेवाड़ा नगर, जैतारण में भूखण्ड संख्या 5बी 12 लाख में क्रय किया था। उक्त भूखण्ड के पंजीयन के बदले कमल किशोर ने मुझे अभी 6 हजार रूपये दिये, जो मैने अपने हाथो से लेकर अपनी दराज में रखे हैं।" आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति करने पर गवाह श्री ओम भाकर से श्री हस्तीमल की टेबल की दराज में से आरोपी की निशादेही से रिश्वत राशि निकलवाई जाकर नोटो को गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 12 नोट होकर कुल 6,000 रूपये होना पाया गया, जिनको गवाह श्री ओम भाकर को सुरक्षित रखने के निर्देश दिये गये तथा आरोपी श्री हस्तीमल राव के दोनो हाथो को कार्यालय के कानि0 श्री अर्जुन लाल व श्री श्याम प्रकाश कानि0 से पौंछो से पकडवाये गये। तत्पश्चात् अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु प्रकिया अनुसार ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर दोनो गिलासो मे साफ पानी भरकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर एक गिलास के घोल में आरोपी श्री हस्तीमल राव के दाहिने हाथ व दूसरे गिलास के घोल में आरोपी के बांये

हाथ की अंगुलियो एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी एवं बांये हाथ के धोवण का रंग मटमैला हो गया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शिशियो मे आधा–आधा भरकर दोनो को सील्ड चिट किया जाकर मार्क कमंशः RH–1, RH–2 एवं बांये हाथ के धोवण को दो शीशीयो में आधा–आधा भरकर दोनो को सील्ड चिट किया जाकर मार्क कमशः LH–1, LH–2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद ट्रेप बॉक्स में से एक अन्य साफ कांच का गिलास निकलवाकर पुनः साफ करवाकर साफ पानी भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर टेबल की दराज जहां से रिश्वत रशि बरामद हुई उक्त स्थान को रूई के पोंहें से रगडकर रूई के पोंहे को गिलास के घोल में डूबोया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। तत्पश्चात् दो कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर टेबल के दराज के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर दोनो को सील्ड चिट किया जाकर मार्क कमंशः T–1, T–2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री हस्तीमल राव को परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य द्वारा प्रस्तुत की गई रजिस्ट्री के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने अवगत कराया कि मैने रजिस्ट्री कमल किशोर आचार्य को अभी सुपुर्द कर दी है, जिस पर उपस्थित परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को उक्त मूल रजिस्ट्री प्रस्तुत की। उक्त रजिस्ट्री के पंजीयन के संबंध में श्री हस्तीमल राव से पूछा तो उसने बताया कि उक्त दस्तावेज दिनांक 01.12.22 को पंजीयन कर दिया गया परन्तु श्री कमल किशोर आचार्य ने यह दस्तावेज मेरे से प्राप्त नही किये। जिस पर उपस्थित परिवादी श्री कमल किशोर ने आरोपी के **उक्त कथन का खण्डन करते हुए बताया** कि मैने दिनांक 05.12.22 को मेरे साथी श्री दीपक कुमार को दस्तावेज लेने के लिए भिजवाया था परन्तु इन्होने दस्तावेज नही दिये और उसे कहा कि रजिस्ट्री की मालियत राशि का एक प्रतिशत राशि देने के बाद उक्त दस्तावेज ले जाना, जिस पर मैं कल दिनांक 06.12.22 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय श्री हस्तीमल से रूबरू मिलकर वार्ता की तो वार्ता अनुसार इन्होने 6 हजार रूपये देने के उपरान्त उक्त दस्तावेज देने हेतु कहा था, जो आज इनकी मांग के अनुरूप ही 6 हजार रूपये देने के उपरान्त इन्होने उक्त दस्तावेज मुझे सुपुर्द किया हैं। उक्त दस्तावेज मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखे गये। कार्यवाही के दौरान तहसील कार्यालय में पदस्थापित श्री प्रेम प्रकाश अरोड़ा ऑफिस कानूनगो मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में धोवण की कार्यवाही की गई। तहसील कार्यालय शहर के मुख्य स्थान पर होने की वजह से तहसील कार्यालय में मौके पर भीड़ एकत्रित होने एवं कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने की आंशका होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस मय आरोपी, स्वतन्त्र गवाहान, परिवादीगण मय हमराहीयान स्टॉफ मय कब्जाशुदा आर्टिकल, दस्तावेज, रिश्वत राशि के मौके से प्राईवेट/सरकारी वाहनो से रवाना होकर समय 12.15 पीएम पर पुलिस थाना जैतारण पहुँचा तथा श्री दिनेश कुमार पु.नि. से थानाधिकारी कक्ष में बैठकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने की सहमति प्राप्त कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आरंभ की गई। फर्द बरामदगी एंव हाथ धुलाई तैयार करना प्रारंभ किया। बरामदशुदा रिश्वत राशि 6,000 रूपये, जो गवाह श्री ओम भाकर के पास रखवाये गये थे को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्राप्त कर बरामदशुदा नोटो का मिलान पूर्व में मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से दोनो गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु होना बताया गया। बरामदशुदा नोटो का विवरण इस प्रकार हैं :–

1	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2CU	156640
2	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7SF	922401
3	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6VB	810691
4	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1VP	557056
5	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1LK	631166
6	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6VB	752479
7	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3HH	179550
8	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3DQ	435094
9	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2LL	030114
10	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2LL	030115
11	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2LL	030116
12	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2LL	030117

उपरोक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटो को एक सफेद कागज में सील्ड चिट कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। रिश्वत राशि लेन–देन के समय आरोपी श्री हस्तीमल राव ने परिवादी को श्रीमती लीला देवी के रजिस्टर्ड दस्तावेज मूल लौटाये थे, जिनका अवलोकन किया गया तो उक्त दस्तावेज पेज संख्या 1 से 9 तक तहसील कार्यालय से पंजीकृत हो चुका है। उक्त मूल दस्तावेज की फोटो प्रतियां करवायी जाकर संबन्धित गवाहान के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया तथा मूल दस्तावेज परिवादी श्री कमल किशौर आचार्य को सुपुर्द किये गये। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी व परिवादी के मध्य वक्त रिश्वत राशि लेन–देन हुई वार्ता का वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चलाकर सुना गया तो वार्ता में परिवादी ने एक आवाज अपनी, दूसरी आवाज आरोपी श्री हस्तीमल राव की होना बताया। दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री प्रेम प्रकाश अरोड़ा ऑफिस कानूनगो द्वारा निर्देशानुसार उक्त रजिस्ट्री के राजस्थान स्टॉम्प नियम 2004 के नियम 57 के तहत संबन्धित उप पंजीयक द्वारा भरी जानी वाली चैक लिस्ट की प्रमाणित प्रति लाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत की, जिसका अवलोकन करने पर उक्त चैक लिस्ट में मूल दस्तावेज बाद पंजीयन लौटाने से संबन्धित परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य एडवोकेट को पेज संख्या 3 पर सुपुर्द करने का अंकन किया हुआ हैं, जिस पर संबन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। उक्त वार्ता की पृथक से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं दो सीडी तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई एवं मूल मैमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थेली मे सील्ड चिट किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। आरोपी श्री हस्तीमल राव, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील कार्यालय जैतारण, जिला पाली का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया कारित किये जाने पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री हस्तीमल राव ने परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य द्वारा श्रीमती सपना शर्मा के जे. आर. मेवाड़ा नगर, जैतारण स्थित भुखण्ड संख्या 5बी कुल क्षेत्रफल 81.94 वर्गगज को श्रीमती लीला देवी को बेचान किये जाने की रजिस्ट्री के दस्तावेज को पंजीयन करने व पंजीकृत दस्तावेज लौटाने की एवज में परिवादी श्री कमल किशोर आचार्य से दिनांक 06.12.22 को 12 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता 6000 रूपये रिश्वत राशि लिया जाना तय कर दिनांक 07.12.22 को

रिश्वत राशि मांग के अनुरूप 6000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी टेबल की दराज में रखे, जहां से रिश्वत राशि 6000 रूपये बरामद हुई। आरोपी के दोनो हाथो की अंगुलियों व अंगुठो तथा टेबल की दराज का धोवण का रंग गुलाबी व मटेमैला प्राप्त हुआ हैं। इस प्रकार **श्री हस्तीमल राव पुत्र श्री नारायण लाल उम्र 56 साल जाति राव निवासी रामद्वारा गेलैक्सी स्कूल के पास मोती नगर, ब्यावर जिला अजमेर मूल निवासी ग्राम पोस्ट केलवाद, तहसील सोजत जिला पाली हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी (पंजीयन लिपिक), कार्यालय तहसीलदार, तहसील जैतारण, जिला पाली** का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन) 2018 का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(राकेश कुमार वर्मा)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट, अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राकेश कुमार वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हस्तीमल राव पुत्र श्री नारायण लाल निवासी रामद्वारा गैलेक्सी स्कूल के पास मोती नगर, ब्यावर, जिला अजमेर मूल निवासी ग्राम पोस्ट केलवाद, तहसील सोजत, जिला पाली हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, (पंजीयन लिपिक), कार्यालय तहसलीदार तहसील जैतारण, जिला पाली के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 468/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

8.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः 4008-11 दिनांक 08.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. जिला कलेक्टर, जिला पाली, राजस्थान।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर।

8.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।